न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और बी. एस. वालिया के समक्ष.

भारतीय खाद्य निगम और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

बाबू लाल यादव और अन्य प्रतिवादी

एल. पी. ए. 69 / 2017

25 जनवरी, 2018

चयन - पद विज्ञापित-पात्रता-प्रशिक्षु के रूप में अनुभव-मुद्दा यह था कि क्या सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के विज्ञापित पद के लिए आवश्यक खाद्यान्न आदि के भंडारण में आवश्यक 5 साल के अनुभव के लिए प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अनुभव को गिना जा सकता है-याचिकाकर्ताओं को प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के पद पर नियुक्ति से पहले प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अनुभव था-प्रशिक्षुओं के रूप में वजीफा दिया गया था-विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्रशिक्षण अवधि को याचिकाकर्ताओं की योग्यता के लिए अनुभव के रूप में गिना जाए-आयोजित, मनोज कुमार सिंह मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, कि प्रशिक्षण की अवधि को पद के लिए आवश्यक अनुभव के लिए नहीं गिना जा सकता है जिसे सवतंत्र होना चाहिए जहाँ कर्तव्यों का पालन अधिकारी द्वारा सवयं किया जाता है अपील की अनुमति दी गई, विद्वान एकल नयायधीश की राय को गलत मानते हुए रिट याचिका ख़ारिज कर दी गई .

यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्या प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के उद्देश्य से गिना जाना है, इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ उसी चयन के संदर्भ में मनोज कुमार सिंह के मामले (उपरोक्त) में विचार किया है और यह राय दी गई है कि प्रशिक्षण की अवधि को पद के लिए आवश्यक अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता है क्योंकि प्रशिक्षण को किसी भी तरह से अनुभव के साथ नहीं गिना जा सकता है, जो स्वतंत्र होना चाहिए जहां कर्तव्यों का पालन संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाता है और यह नहीं कि वह प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों की देखरेख में प्रशिक्षण के तहत रहता है।

(पैरा 12)

जे. एस. पुरी, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

रोशन लाल बत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

मंदीप के. साजन अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए।

राजेश बिंदल, जे।

(1) रिट याचिका को अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित होकर, भारतीय खाद्य निगम (संक्षेप में, 'निगम') ने वर्तमान इंट्रा अपील दायर की है !

(2) रिट याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए रिट याचिका दायर की कि वे सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के लिए पात्र हैं, इसलिए उनका साक्षात्कार लिया जाना चाहिए क्योंकि वे पहले ही लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं।सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के लिए आवश्यक योग्यता खाद्यान्न के भंडारण और स्टॉक के रखरखाव में खदायनो की जांच और विश्लेषण में या शैक्षिक योग्यता के अलावा सरकारी या सार्वजनिक/निजी प्राइवेट लिमिटेड में खाद्यान्न की परीक्षा, निरीक्षण और विश्लेषण में 5 साल का अनुभव था।

(3) रिट याचिका को अनुमति करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में रिट याचिकाकर्ताओं के अनुभव को भी खाद्यान्न के भंडारण के अनुभव में गिना जाए।केवल उस अवधि को जोड़ने से ही वे विचार के लिए पात्र हो जाते हैं।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का विरोध करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं में से एक, खाद्यान्न के भंडारण और स्टॉक के रखरखाव में या सरकारी या सार्वजनिक/निजी प्राइवेट लिमिटेड में खाद्यान्न की जांच, निरीक्षण और विश्लेषण में 5 साल का अनुभव है।रिट याचिकाकर्ता प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में काम कर रहे हैं।उस पद पर नियुक्ति के लिए, किसी को प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है जिसके दौरान केवल वजीफे का भुगतान किया जाता है और इसे नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाता है।नियुक्ति के लिए सफल प्रशिक्षण पूर्व-आवश्यकता है।प्रारंभिक नियुक्ति प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में होती है, क्योंकि अंतिम तिथि पर रिट याचिकाकर्ताओं के पास पद के लिए आवश्यक पांच साल का अनुभव नहीं था, क्योंकि प्रशिक्षण की अवधि को संभवतः इस उद्देश्य के लिए नहीं गिना जा सकता है।प्रशिक्षण के दौरान केवल सत्र/कक्षाएं आयोजित की जाती हैं या कुछ संलग्नक होते हैं।स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए व्यक्ति को जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाती हैं, जो कि आवश्यक अनुभव है।उन्होंने आगे 2014 के एल. पी. ए. संख्या 90-खाद्य में दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले का उल्लेख किया। भारतीय निगम और अन्य बनाम मनोज कुमार सिंह और अन्य, 29.9.2016 पर निर्णय लिया, जहाँ समान तर्क स्वीकार किए गए और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 (संक्षेप में, 'विनियम') के उस फैसले में रिट याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा न करने पर विचार नहीं किया गया था।

(6) निर्णय के पैरा 6 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुभव के संबंध में मुद्दे पर विचार किया है और राय दी है कि प्रशिक्षण अवधि को गिना जाना है।उन्होंने आगे कहा कि कुछ पदों के विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रशिक्षण भाग को शामिल नहीं किया जाना है।विचाराधीन पद के खिलाफ ऐसी कोई शर्त नहीं है।उन्होंने रिट याचिकाकर्ताओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण के अनुसूची का भी उल्लेख किया कि उनके द्वारा सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है और यह केवल एक प्रशिक्षण नहीं था।

(7) जवाब में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित किए जाने वाले विनियम वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि यह कर्मचारी को केवल सजा और अपील के लिए या नियुक्ति के बाद अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण के लिए परिभाषित करता है।

(8) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता की सुनी और कागजात का अवलोकन किया गया !

(9) वर्तमान अपील में मुद्दा सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति से संबंधित है।विज्ञापन में उल्लिखित पद के लिए आवश्यक योग्यता नीचे दी गई हैः-

> “सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) (पोस्ट कोडः 06) -i) कृषि में डिग्री या खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ विज्ञान में डिग्री या प्राणी विज्ञान या जैव रसायन में मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता,(ii) खाद्यान्न के भंडारण और भंडार के रखरखाव में या सरकारी या सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में खाद्यान्न की जांच, निरीक्षण और विश्लेषण में 5 साल का अनुभव, वांछनीयःअनाज/भंडार में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों, रॉडिसाइड्स और धूमकों के विष विज्ञान का ज्ञान।उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय कनिष्ठ/वरिष्ठ शोध अध्येता के रूप में अर्जित अनुभव को "आवश्यक अनुभव" के रूप में माना जाएगा।”

(10) वर्तमान अपील में विवाद खाद्यान्न के भंडारण और भंडार के रखरखाव या सरकारी या सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में खाद्यान्न की जांच, निरीक्षण और विश्लेषण में आवश्यक अनुभव के संदर्भ में है।आगे इंगित करने के लिए, मुद्दा यह होगा कि क्या प्रबंधक के रूप में अवधि बिताई गई थी

प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में नियुक्ति से पहले प्रशिक्षु को पद के लिए आवश्यक अनुभव के लिए गिना जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्विवाद है कि जब तक उस अवधि को नहीं गिना जाता है, तब तक प्रतिवादी के पास पांच साल का अनुभव नहीं होगा।

(11) अपीलकर्ताओं ने प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में एक उम्मीदवार की नियुक्ति से पहले प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में रिकॉर्ड प्रशिक्षण अनुसूची रखा है, जो दर्शाता है कि प्रशिक्षण मुख्य रूप से सैद्धांतिक भाग या विभिन्न परियोजनाओं के अध्ययन से संबंधित है।यह विभिन्न क्षेत्रों में है।प्रशिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, ऐसा नहीं है कि प्रबंधन प्रशिक्षु को खाद्यान्न के भंडारण और स्टॉक के रखरखाव आदि के संबंध में अनुभव मिल रहा है, बल्कि इसमें सतर्कता, भारत की खाद्य नीति, फसल पैटर्न, श्रम कानून, वित्तीय पहलू, अदालत की प्रक्रियाएं, घर की देखभाल, कार्मिक प्रबंधन आदि के संदर्भ में विषय शामिल हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया के दौरान 6,000/- रुपये का एक छोटा सा वजीफा दिया गया था।प्रारंभ में नियुक्ति प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की जाती है।प्रशिक्षण के सफल समापन पर ही एक उम्मीदवार को सामान्य नियमों और शर्तों पर नियमित वेतनमान में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है।परिवीक्षा की अवधि भी वहीं से शुरू होती है।

(12) यह मुद्दा कि क्या प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के उद्देश्य से गिना जाना है, उसी चयन के संदर्भ में मनोज कुमार सिंह के मामले (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा देखा गया है और यह राय दी गई है कि प्रशिक्षण की अवधि को पद के लिए आवश्यक अनुभव के लिए नहीं गिना जा सकता है क्योंकि प्रशिक्षण को किसी भी तरह से अनुभव के साथ नहीं गिना जा सकता है, जो स्वतंत्र होना चाहिए जहां कर्तव्यों का पालन संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाता है और यह नहीं कि वह प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों की देखरेख में प्रशिक्षण के तहत रहता है।

(13) विनियमों के विनियम 2 (एम), 8 और 16 (8) भी प्रतिवादी के बचाव में इन कारणों से नहीं आते हैं कि ये केवल प्रबंधन प्रशिक्षु को अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में या अंतर-वरिष्ठता के संबंध में कर्मचारी के रूप में व्यवहार करते हैं।

(14) ऊपर वर्णित कारणों से, हमारे विचार में, रिट याचिका को अनुमति देते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय गलत है जिसमें प्रशिक्षण की अवधि को सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त होने की पात्रता के उद्देश्य से अनुभव के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया है।तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, तदनुसार प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

संजय कुमार
3G161I
ट्रांसलेटर